

ISSN : 2456-8856

पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30

पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 25, अंक 231

जनवरी 2023

गणतंत्र दिवस
की
हार्दिक शुभकामना



संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

संस्थापक सम्पादक

डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक

सेवाराम खाण्डेगार

11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श

आयु. सूरज डामोर IAS

पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक

डॉ. तारा परमार

9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :

डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली

डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात

डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात

डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee

डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)

प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)

प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)

डॉ. बी. ए. सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार

श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र. विषय	लेखक	पृष्ठ
1. अपनी बात	- डॉ. तारा परमार	03
2. उपदेशात्मक मुक्तक काव्यों में कश्मीरी महाकवि क्षेमेन्द्र कृत दर्पदलन का आलोचनात्मक अध्ययन	- स्मन शर्मा (शोध छात्र)	04
3. भोपाल जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन कौशल का अध्ययन	- डॉ. संगीता तिवारी	07
4. महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज एवं डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर के कार्य में समरसता	- प्रो. कृष्णा नाथ गायकवाड़	10
5. बदलती शिक्षा नीतियां : भारतीय शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य	- राकेश, डॉ सतीश खासा - मिस सुजाता	13
6. सिकन्दर तहसील (बलिया जनपद) में जनसंख्या घनत्व एवं उसका सामाजिक, आर्थिक प्रभाव	- राम जी राय	17
7. The Women's Position in Vedic Literature : A Holistic Approach	- Dr. Paromita Roy	21

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)

खाते का नं.- 63040357829

बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,

शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)

IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com

E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	: रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	: रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	: रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	: रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

अपनी बात

भारतीय 'गणतंत्र' प्राणवान है। समय-समय पर वह अपनी ऊर्जा का प्रमाण देता रहा है। गणतंत्र की सफलता में सर्वाधिक योगदान है कमजोर वर्गों खासकर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्गों का जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से विपन्न होने के बावजूद राष्ट्र की मुख्यधारा के अंग रहे और अपने हितों की चिंता किये बिना समाज की नींव का पत्थर बने। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जिसे संविधान द्वारा भारतवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य है।

संविधान के प्रारूप के तीसरे वाचन के समय डॉ. अम्बेडकर ने 25 नवम्बर 1949 को सभा में कहा—“संविधान सभा में, मैं क्यों आया ? केवल दलित-वर्गों के हितों की रक्षा के लिये। इससे अधिक और मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा ने जब मुझे प्रारूप समिति में नियुक्त किया तब मुझे आश्चर्य हुआ ही, परंतु जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे आश्चर्य का धक्का-सा लगा। संविधान सभा और प्रारूप समिति ने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझसे यह काम सम्पन्न करवाया, उसके लिये मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।” उन्होंने आगे कहा कि संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उसको व्यवहार में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। अच्छे लोगों के हाथों में बुरा संविधान भी अच्छा साबित होने की संभावना बनी रहती है।

स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्वभाव के आधार पर अधिष्ठित सामाजिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है। समानता के बिना, स्वतंत्रता का अर्थ बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व का होना है।

संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोगों ने 'भारत को संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक धर्म-निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य' बनाने का निश्चय किया है। लोकतंत्र केवल राजनीतिक-सामाजिक परिस्थिति ही नहीं, बल्कि शासन और जीवन की लोकजयी धारणा भी है।

लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, व्यक्तिवाद से समष्टिवाद की ओर अग्रसर होती है इसलिये लोकतंत्र में व्यक्ति का महत्व सर्वोपरि है।

लोकतंत्र मूलतः एक नैतिक व्यवस्था है जिसमें निर्णय का खुलापन है। वह जनता को बिना किसी रक्तपात के शासक वर्ग को सत्तासीन व सत्ताच्युत करने का अधिकार देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने शोषण और सामाजिक असमानता के विरुद्ध लड़ना सिखाया। 'आजादी' से 'आजादी का अमृत महोत्सव' तक की इस महत्वपूर्ण यात्रा में चरित्र, संरचना, अंतर्द्वन्द्व, अन्तर्विरोध और अंतसंबंध लेकर जो वातावरण उभरा है और उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उन पर सम्यक् दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता, उत्पादकता, उद्यमशीलता और जोखिम उठाने की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। भारत में नए-नए पेशों के बहुआयामी प्रसार और विविधता ने नया चरित्र, नया विस्तार और नई गहराई दी है, लेकिन नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था और समाज के कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति और करुणा का अभाव है।

लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है-शासन में जनता की भागीदारी। यह भागीदारी कई तरह से हो सकती है। शासन में बैठे लोगों को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि देश की जनता केवल मतदान के लिये नहीं है और केवल अपना मत (वोट) दे देने से ही प्रजातंत्र में उनकी भूमिका खत्म नहीं हो जाती, उन्हें देश की वास्तविक स्थिति एवं नीतियों के बारे में अवगत कराना भी जरूरी है। लोकतंत्र में जनधर्म ही राजधर्म है। लोकतंत्र में जनधर्म के बिना राजधर्म तो अर्थहीन हो जाता है। लोकतंत्र का अर्थ इतना सीमित नहीं हो जाना चाहिये कि नागरिक अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर बेपरवाह बने रहे। लोकतंत्र किताबी धर्मों से नहीं जनता के रचनात्मक कर्मों से चलता है। जनता जिसे लोकतंत्र में 'भाग्य विधाता' का दर्जा दिया गया है, भ्रम जाल से बचकर अब स्वयं में आत्म निर्णय की शक्ति विकसित करे यह वर्तमान परिदृश्य में निहायत जरूरी है।

जय भारत, जय भीम, जय संविधान.....

- डॉ. तारा परमार

उपदेशात्मक मुक्तक काव्यों में कश्मीरी महाकवि क्षेमेन्द्र कृत दर्पदलन का आलोचनात्मक अध्ययन

– रमन शर्मा (शोध छात्र)

मूलतः मुक्तक काव्य के स्रोत वेद ही माने जाते हैं। वैदिक वाङ्मय को यदि लिया जाए तो संहिता काल आसक्ति का युग था। ब्राह्मण काल उपदेश की प्रधानता का तथा उपनिषद् काल में विरक्ति तथा भक्ति का प्रचलन रहा। मुक्तक साहित्य के मूल बीज वेद ही हैं। यथा—ऋग्वेद में जुआरी को जुआ न खेलने का उपदेश दिया गया है जिसमें ऋषि जुआरी की दशा को देखकर कहते हैं। जुआरी तुम जुआ मत खेलो खेती करो जिससे तुम्हें अनेक भोग प्राप्त होंगे तथा तुम्हें दाम्पत्य सुख आदि प्राप्त होंगे।

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः।

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्थः।।¹

ऋग्वेद के 10वें मण्डल में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने विद्वान् मित्र को छोड़ देता है उसकी वाणी उसे कोई फल नहीं देती।² श्रद्धा ही जीवन को पवित्र बनाती है तथा महान् लक्ष्यों को प्राप्त करवाती है। “हृदय्या आकूत्या”³ इसके अतिरिक्त सरमा—पणि सूक्त में उपदेश हो या दानस्तुति सूक्त में कृपणता त्याग दानी बनने के उपदेश हो इत्यादि उपदेशात्मक मुक्तक के सुन्दर स्पष्ट उदाहरण हैं। विशेषतः ऋग्वेद के 117 वे सूक्त (दान स्तुति सूक्त) में तो सभी उदाहरण उपदेशात्मक मुक्तक से ओत प्रोत हैं। दान की महिमा का गुणगान करते हुए सनातन संस्कृति में, त्याग तथा दान इन दो गुणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अकेले भोजन करने वाले को ऋषि पापी कहता है। उसका धन उसके लिए ही विपत्ति है। यथा—“केवलाघो भवति केवलादी”⁴, “न स सखा यो न ददाति सख्ये”⁵ दानी को ही ब्रह्म, सन्त, महात्मा,

ऋषि आदि कहा गया है। ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त संज्ञान में सामाजिक सौहार्द, सह—अस्तित्व, सामनस्य, ऐकमत्य तथा संगठन का उपदेश दिया गया है।⁶ जिसमें आपस में मिलकर कार्य करने, एकता सम्बन्धी मनोहर कथन है। राष्ट्र के प्रति मनुष्य जनों को उपदेश दिया गया है कि स्वराज की अनेक उपायों से रक्षा करनी चाहिये—“व्यचिष्टे बहुपथ्ये स्वराज्ये”⁷ यजुर्वेद में भी कहा गया है कि हमे दूसरों के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिये यथा—“मा गृधः कस्य सिवद्धन्”⁸ अथर्ववेद में भी सुन्दर मुक्तक के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। जिसमें कहा गया है कि जो मित्र है उसके साथ हम रहे। “यः सुहार्त तेन सः सह”⁹ इत्यादि अनेक जीवनोपयोगी सुन्दर उक्तियाँ उपदेशात्मक मुक्तक काव्य के स्रोत बनते हैं।

दर्पदलन उपदेशात्मक मुक्तक का
आलोचनात्मक अध्ययन—

संस्कृत साहित्य में उपदेशात्मक मुक्तकों का बोलबाला आदि काल से ही है। इसी उपदेशात्मक मुक्तक परम्परा में कश्मीर के विद्वान् पण्डित आचार्य क्षेमेन्द्र का ‘दर्पदलन’ एक महनीय स्थान रखता है। यह उपदेशात्मक काव्य सात विचारों में विभाजित एक उत्तम कोटि की रचना है। ग्रन्थ में महाकवि क्षेमेन्द्र ने 596 पद्यों के द्वारा दर्प में मदमस्त व्यक्तियों को उपदेश दिया है। महाकवि क्षेमेन्द्र का मानना है कि यह दर्प व्यक्तियों में मुख्य रूप से सात (7) कारणों से प्रकाट्य होता है—कुल, धन, विद्या, रूप, शौर्य, दान तथा तप से इन दर्प के हेतुओं की कठोर आलोचना कर महाकवि क्षेमेन्द्र ने कहा है— मेरे ग्रन्थ का प्रयोजन ही है दर्पदोष का चिकित्सक।

में मित्रों के प्रेम के कारण मधुरसूक्ति रूपी औषधियों से उनके स्वास्थ्य के लिए यत्न करना। भूतों से ग्रस्त होने के समान अलंकार से अभिभूत मनुष्यों की मोहशांति तथा हित के लिए इस 'दर्पदलन' ग्रन्थ की रचना की जा रही है।¹⁰ उपदेशात्मक मुक्तक (दर्पदलन) की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए कौल महोदय का कथन है कि उपदेशात्मक काव्य को दृष्टि में रखते हुए दर्पदलन संस्कृत साहित्य की सर्वोत्तम कृति हैं।¹¹ उपदेशपरक इस मुक्तक काव्य में कवि ने साधारण सूक्तियों एवं लोकोक्तियों के माध्यम से उपदेश किया है। अपने तीव्र, तीक्ष्ण तथा सूक्ष्म बुद्धि का उपयोग कर महाकवि क्षेमेन्द्र तत्कालीन मानवीय नैतिक दुर्बलताओं तथा सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना करते हैं। वे अपने सूक्ष्म अवलोचन के कारण तात्कालीन समाज से परिचित थे तथा समाज का कटु उपहास करते थे। उनके उपहासों में आधुनिकता व सार्वलौकिकता का पुट है। यह सात (7) प्रकार के राजयोग जिनसे मनुष्यों को अभिमान होता है कवि इन राजयोगों को महारोग के तुल्य मानते हैं।

1. कुलविचार – महाकवि क्षेमेन्द्र के मत में सर्वप्रथम अभिमान मनुष्यों में अपने कुल से ही आता है। उनका मानना है कि विचार करने पर प्रतीत होता है कि कुल में उत्पन्न होने पर अभिमान करना उचित नहीं क्योंकि सभी के मन को आकृष्ट करने वाला कमल का यदि (उत्पत्ति स्थान) पंक (कीचड़) को देखा जाए (जो अग्राह्य तथा अमनोहर) तो हृदय में घृणा हो जाए। इसी प्रकार कुल का भी मूल खोजने पर दोष रूपी पंक ही हस्तगत होगा।¹² इसी बात को संत कबीर भी कहते हैं—

ऊँचे कुल का जनभिया, करनी ऊँची न होय ।

सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधू निंदा होय ॥

2. धनविचार—दर्पदलन में महाकवि क्षेमेन्द्र ने उपदेश के माध्यम से जन-मानस को जो शिक्षा दी है

उसको पाठक अपने समक्ष चित्रित पाता है। उनका मानना है कि लक्ष्मी तो नेत्र कटाक्ष की भाँति चंचल है। धन तो आज तक किसी को तृप्त नहीं कर पाया है। "न वित्तेनतर्पणीयो मनुष्यः", "मा गृधः कस्यस्विद्धनम्" धन तो दान के योग्य है अभिमान के नहीं।

3. विद्या विचार—महाकवि क्षेमेन्द्र का मानना है कि विद्या तो मोक्ष का साधन है। दर्प का नहीं "सा विद्या या विभुक्तये"¹³ समस्त वेदों, दर्शनों, नीतिशास्त्रों तथा समस्त विषयों ने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, तो इस ज्ञान से अभिमान आ जाना कहा तक श्रेयस्कर है। तत्त्ववेत्ता महाकवि क्षेमेन्द्र के समस्त शास्त्रों को आदर्श मानकर विद्या को समस्त दोषों की शांति का हेतु मानते हैं। सूक्ष्मदर्शी महाकवि क्षेमेन्द्र ने सन्मार्ग से विपरीत मार्ग की ओर से जाने वाली विद्या को 21 भेदों में विवेचित किया है। वे विद्याएँ हैं – भारभूत विद्या, क्षुद्रविद्या, घृष्टविद्या, शुकविद्या, शठविद्या, पण्यविद्या, मोहविद्या, कष्टदायिनीविद्या, जड़विद्या, दम्भविद्या, शूलविद्या, चोरविद्या, मन्धविद्या, अलीकविद्या, दोषविद्या, मूकविद्या, मृतविद्या, हास्यविद्या, लुब्धविद्या, व्याजविद्या तथा वधविद्या।¹⁴

4. रूप विचार – चतुर्थ रूप विचार में कवि ने रूप को ठीक वैसा ही माना है जैसे प्रातः काल में नवीन पौधे से उत्पन्न कली के रूप में कमल, कान्ताओं के स्तनों के सदृश प्रतीत होता है, फिर वही कमल धीरे-धीरे मध्याह्न में सामोद हास विकास के कारण सदृश अद्भूत सौन्दर्य से विकसित होता है तथा रमणीय शोभा विखेरता है। तत्पश्चात् सन्ध्या या रात्रि काल में वही कमल मलिन शरीर कांपता हुआ शिथिल सा वायु द्वारा बिखेर दिया जाता है जो कि कीचड़ से सनकर तट पर एक ही दिन में सुख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का रूप भी इन अवस्थाओं से होकर ठीक वैसे ही एक दिन कमल की भान्ति शोभाहीन होकर समाप्त हो जायेगा

फिर इस रूप, सौन्दर्य का अभिमान किस बात पर किया जाए।¹⁵

5. शौर्य विचार—पञ्चम विचार में यह अंकित किया गया है कि शौर्य का अभिमान भी व्यर्थ है। शौर्य से तात्पर्य है वीरता से उत्पन्न होने वाले अभिमान से। “अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु” आदि वाक्यों द्वारा ऋग्वेद में शौर्य को समस्त सफलताओं का साधन माना है। आदि काव्य रामायण में भी “सत्वेन वीर्येण पराक्रमेण शौर्येण शौर्येण च तेजसा” इत्यादि वाक्यों द्वारा वीरता तथा ऐश्वर्य की सफलताओं की ओर अंकित किया गया है। क्षेमेन्द्र कवि का मानना है कि यह अभिमान से संलिप्त शौर्य न केवल सफलताओं में बाधा उत्पन्न करता है अपितु अत्यन्त परिभव (तिरस्कार) का कारण भी होता है।

6. दान विचार—अपने षष्ठम विचार दान के विषय में दर्पदलनकार का विचार है कि देश, काल, क्रिया तथा पात्रादि का विचार किए बिना ही केवल दूसरों के दुःख का शमन करने के लिए दयार्द्र चित्र होकर, स्वतन्त्र मन से दिया हुआ दान ही दान कहा जा सकता है।¹⁶ यदि कोई दान देकर भी दर्प में पड़ा है कि मेरे द्वारा अमुक व्यक्ति का उद्धार हुआ तो ऐसे दर्प में जीना कैसा? दान के विषय पर चर्चा करते हुए ग्रन्थकार अपनी इस कृति में दान के विभिन्न मानसिक तथा व्यवहारिक दोषों का दर्शन करवाते हुए उसके षोडश (16) भेद बताते हैं। लोभदान, कष्टदान, दग्धदान, कूटदान, बलवान्, दम्भदान, शल्यदान, बन्ध्यदान, याव्यदान, रागद्वेषयुक्तदान, कलिदान, स्वल्पदान, भयदान, मोहदान, वाष्पदान तथा भृतिदान।

7. तप विचार—तप के विषय में महाकवि क्षेमेन्द्र का कथन है कि सज्जनजन राग, धनाभिमान, मोह का नाश तथा षड्शत्रुओं आदि के विनाश के लिए तप करते हैं। यदि उसी तप से अभिमान होने लगे तो व्यर्थ ही शरीर को कष्ट दिया।¹⁷

इन सप्त विचारों में कवि ने मुक्त पद्यों द्वारा जो उपदेश किया है वे अद्वितीय स्थान रखता है।

दर्पदलन मुक्तक काव्य की शैली, गुण एवं अलङ्कार—महाकवि क्षेमेन्द्र सभी वृत्तियों में कैशिकी वृत्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। तथापि आंशिक रूप से सात्वती तथा आरभटी का भी प्रयोग करते हैं। अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में कवि ने प्रधानतया कैशिकी वृत्ति का ही प्रयोग किया है। क्षेमेन्द्र के काव्यों में प्रधानतया प्रसाद गुण ही सर्वत्र विधित होता है। तथापि माधुर्य तथा औजस का प्रयोग यत्र-तत्र प्राप्त होता है। अलङ्कारों में कवि ने अनुष्टुप् इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता शार्दूलविक्रीडित आदि का प्रयोग किया है।

निष्कर्ष : अतः अन्त में हम यह कह सकते हैं कि सात विचारों में विभक्त यह ‘दर्पदलन’ ग्रन्थ एक उपदेशात्मक मुक्तक काव्य है। जिसमें कुल, धन, विद्या, रूप, शौर्य, दान तथा तप से उत्पन्न मद के हेतुओं की कठोर आलोचना की गई है। इसमें साधारण सूक्तियों एवं लोकोक्तियों के माध्यम से जनमानस को शिक्षा दी गई है। कवि ने सूक्ष्म पर्यवेक्षण में उपदेश निहित किये हैं जिससे उनके व्यक्तित्व की एक झलक पाठकों के मानस पाटल पर अंकित हो जाती है। सरल तथा प्रभावोत्पादक शैली में अभिव्यक्त ये विचार आज भी उतने ही उपयोग सिद्ध होते हैं जितने क्षेमेन्द्र महाकवि के समय में कहे गए हैं। प्रत्येक विचार में कोई न कोई पौराणिक या ऐतिहासिक कथा देकर उस विचार की पुष्टि की गई है तथा उपदेशात्मक शिक्षा का प्रकाश उजागर किया गया है।

— रमन शर्मा

शोध छात्र—संस्कृत विभाग

जम्मू विश्वविद्यालय

मोबा. 8803087949

Nehru Hall boys hostel, University of Jammu

Jammu - 180006 (U.T.)

संदर्भ:—

- 1 ऋग्वेद-10-34-13
- 2 ऋग्वेद-10-71-6
- 3 ऋग्वेद श्रद्धासूक्त 10-15
- 4 ऋग्वेद 10-117.6
- 5 वही 10-117.4
- 6 वैदिक साहित्य एवं संस्कृति पृ. 55
- 7 ऋग्वेद 5-66-6
- 8 यजुर्वेद 40 अध्याय 1
- 9 अथर्ववेद 2-7-5
- 10 अहंकाराभिभूतानां भूतानामिव देहिनाम् ।
हिताय दर्पदलनं क्रियते मोहशान्तये दर्पदलन-5
- 11 श्रीमधुसूदन कौल रू आमुख, देशोपदेश व
नर्ममाला पृ. 24, दर्पदलन भूमिकापृ. 18
- 12 कुलस्य कमलस्येव मूलमन्विष्ये यदि ।
दोष पङ्कप्रसक्तान्तस्तदावश्यं प्रकाशते दर्पदलन-7
- 13 छान्दोग्योपनिषद 1-19-41
- 14 दर्पलन 28 से 45 तक पद्य
- 15 प्रातर्बालतरोऽथ कुङ्मलतया कान्ताकुचाभः शनै
हँलाहासविकाससुन्दररुचिः संपूर्णकोषस्ततः ।
पश्चान्म्लानवपुर्विलोलशिथिलः पदम प्रकीर्णोऽनिलै
स्तस्मिन्नेव दिने स पङ्ककलिलक्लिन्नस्तटे शुष्यति ।।
दर्पदलन 4 / 73
- 16 देशकालक्रियापात्राण्यविचार्यैव केवलम् ।
परेषामार्तिशमनं दयार्द्रदानमुच्यते ।। दर्पदलन 6-9
- 17 क्षमा शमः शासनमिन्द्रियाणां मनः प्रसिक्तं करुणामृतेन ।
तपोऽर्हमेतत् सजने वने वा कायस्य संशोषणमन्यदाहुः ।।
दर्पदलन-7 / 16

भोपाल जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन कौशल का अध्ययन

— डॉ. संगीता तिवारी

सारांश

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में शोधार्थी ने “भोपाल जिले के माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय व अशासकीय विद्यार्थियों के अध्ययन कौशल का अध्ययन” सर्वेक्षण विधि से किया। भोपाल जिले के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 400 विद्यार्थियों की अध्ययन कौशल जानने के लिए स्वनिर्मित अध्ययन कौशल प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-टेस्ट के माध्यम से परिकल्पनाओं का परीक्षण कर निष्कर्ष में पाया कि माध्यमिक स्तर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं छात्राओं में अध्ययन कौशल के मध्य सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। परंतु कुछ विषय जैसे विज्ञान, अंग्रेजी तथा गणित में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द—अध्ययन कौशल, योग्यता, एकाग्रता, समय प्रबंधन, याददाश्त, लेखन एवं परीक्षा प्रबंधन ।

प्रस्तावना

शिक्षा, केवल सूचना प्रदान करने एवं कौशल प्रशिक्षण का माध्यम नहीं है बल्कि यह बालकों को मूल्यों व संस्कारों का ज्ञान भी प्रदान करती है। ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम अध्ययन है। व्यक्ति जब दूसरों के अनुभवों को शब्दों, निरीक्षण, चिंतन-मनन द्वारा ग्रहण करता है तथा उसका लाभ उठाता है तो यह प्रक्रिया अध्ययन कहलाती है।

अध्ययन कौशल के लिये आवश्यक और विद्यालय जीवन के लिये अनिवार्य अध्ययन के तीन प्रमुख प्रयोजन निम्न हैं —

- (1) छात्रों के विचारों का विकास करना ।
- (2) छात्रों की कुशलताओं में उन्नति करना ।

(3) छात्रों को ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने और ऐसी आदतों का निर्माण करने में सहायता देना, जो उसे नवीन परिस्थितियों का सामना करने, नवीन विचारों का निर्माण करने, उनकी व्याख्या करने, आवश्यक निर्णयों को लेने और अपने जीवन को सामान्य रूप से सफल एवं संपन्न बनाने की क्षमता प्रदान करें ।

अध्ययन की आवश्यकता—मनोवैज्ञानिकों का मत है कि छात्र अध्ययन कौशल की प्रभावशाली आदतों का निर्माण तभी कर सकते हैं जब उनको अध्ययन के उत्तम नियमों का ज्ञान हो । छात्रों में अध्ययन कौशल का विकास उनके व्यक्तित्व हेतु आवश्यक है । अध्ययन की प्रभावशाली आदतों का विकास न कर सकने के कारण ही वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल होते हैं । छात्र चाहे तीसरी कक्षा के छात्र हो या हाईस्कूल के विद्यार्थी हो या कॉलेज के छात्र बहुधा अध्ययन की प्रभावहीन आदतों का प्रमाण देते हैं ।

मोर्गन, सी.टी. (1951) ने छात्रों में विफलता के चार प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है, वे हैं (1) छात्र का कम अध्ययन करना, (2) छात्र का अध्ययन के उद्देश्य से अनभिज्ञ रहना (3) छात्र अध्ययन की जाने वाली विषय सामग्री को संक्षेप में नहीं लिखते, (4) छात्र विषय सामग्री से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर विचार नहीं करते ।

अधिकांश छात्रों की अध्ययन में रूचि नहीं होती है । यह सत्य है, कि श्रेष्ठ बुद्धि के कई छात्र मंद गति से पढ़ते हैं और इसलिये वे अपने अध्ययन को प्रभावशाली नहीं बना पाते हैं, इसके अतिरिक्त ऐसी शोधों का भी अभाव नहीं है जिससे यह ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ बुद्धि के छात्र अध्ययन की गलत आदत के कारण उच्च उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाते हैं । अतः शोधार्थी ने इस विषय पर शोधकार्य करने का निश्चय किया है ।

समस्या कथन—माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय व अशासकीय विद्यार्थियों के अध्ययन कौशल का अध्ययन ।

अध्ययन के उद्देश्य—माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत शासकीय व अशासकीय विद्यार्थियों में

अध्ययन कौशल का अध्ययन करना ।

शोध की परिकल्पनाएँ :

H₀₁ माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

H₀₂ शासकीय माध्यमिक स्तर के छात्रों व छात्राओं के अध्ययन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

H₀₃ अशासकीय माध्यमिक स्तर के छात्रों व छात्राओं के अध्ययन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

न्यादर्श

भोपाल जिले के शासकीय व अशासकीय माध्यमिक स्तर के कक्षा दसवीं के कुल 400 विद्यार्थियों (शासकीय 200 व अशासकीय 200) को यादृच्छिक विधि द्वारा चयनित किया गया है ।

प्रदत्तों को संकलित करने हेतु उपकरण—

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु शोधार्थी ने स्वनिर्मित अध्ययन कौशल अनुसूची का निर्माण किया है जिसमें विद्यार्थियों के एकाग्रता, समय प्रबंधन, याददाश्त, लेखन एवं परीक्षा संबंधी इत्यादि सभी विषयों के प्रश्नों को प्रश्नावली में शामिल किया गया है । प्रश्नावली के निर्माण में विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके इस उपकरण का निर्माण किया गया है । उपकरण की सामग्री वैधता, पद वैधता व निर्माणात्मक वैधता का विश्लेषण विषय विशेषज्ञों के निर्देश पर किया गया स्वनिर्मित अध्ययन कौशल अनुसूची की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए अर्धविभक्तार्थ विधि (split half method) एवं पूर्व – परीक्षण व पाश्च – परीक्षण का प्रयोग किया गया है ।

सांख्यिकीय प्रविधि—प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-टेस्ट का प्रयोग किया गया है ।

परिकल्पनाओं की व्याख्या व विश्लेषण

सारणी क्रमांक 1 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अध्ययन कौशल में तुलनात्मक अंतर

वर्ग	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	परिकलित 'टी'	स्वतंत्रता अंश	निष्कर्ष
अध्ययन कौशल	छात्र	200	101.69	8.68	0.01	398	असार्थक
	छात्रा	200	101.68	9.4			

स्वतंत्रता के अंश – 398, सार्थकता 0.05 के स्तर पर 1.97

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमान का स्तर क्रमशः 101.69 तथा 101.68 है प्रमाणिक विचलन 8.68 तथा 9.4 है। प्राप्त मध्यमानों के अंतर जांच करने पर 'टी' का परिकलित मान 0.01 प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता अंश 398 का सारणी मान सार्थकता 0.05 के स्तर पर 1.97 है जबकि प्राप्त 'टी' का मान 0.01 है अतः स्पष्ट है कि 'टी' का मान सारणी के मान से कम है जिससे यह ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल में सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार दोनों समूहों की तुलना करने के पश्चात निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना सत्य है एवं स्वीकृत होती है।

सारणी क्रमांक 4.2 – शासकीय माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल में तुलनात्मक अंतर

वर्ग	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	परिकलित 'टी'	स्वतंत्रता अंश	निष्कर्ष
अध्ययन कौशल	शा. छात्र	100	102.74	8.70	0.04	198	असार्थक
	शा. छात्रा	100	102.69	10.24			

स्वतंत्रता के अंश – 198, 0.05 सार्थकता स्तर पर श्टीश सारणीमान 1.97

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शासकीय माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के प्राप्तांकों का मध्यमान का स्तर क्रमशः 102.74 तथा 102.69 है

प्रमाणिक विचलन 8.70 तथा 10.24 है। प्राप्त मध्यमानों के अंतर की जांच करने पर 'टी' का परिकलित मान 0.04 प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता अंश 198 का सारणी मान सार्थकता 0.05 के स्तर पर 1.97 है जबकि प्राप्त 'टी' का मान 0.04 है अतः स्पष्ट है कि 'टी' का मान सारणी के मान से अपेक्षाकृत कम है। जिससे यह ज्ञात होता है कि शासकीय माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल में सार्थक अंतर नहीं है।

इस प्रकार दोनों समूहों की तुलना करने के पश्चात निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शासकीय माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः इस प्रकार शून्य परिकल्पना सत्य है एवं स्वीकृत होती है।

सारणी क्रमांक 4.3 – अशासकीय माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल का तुलनात्मक अध्ययन

वर्ग	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	परिकलित 'टी'	स्वतंत्रता अंश	निष्कर्ष
अध्ययन कौशल	अशासकीय छात्र	100	100.63	8.58	0.03	198	असार्थक
	अशासकीय छात्रा	100	100.67	8.44			

स्वतंत्रता के अंश – 198, 0.05 सार्थकता स्तर पर 'टी' सारणीमान 1.97

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि, अशासकीय माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के प्राप्तांकों के मध्यमान का स्तर क्रमशः 100.63 तथा 100.67 है प्रमाणिक विचलन 8.58 तथा 8.44 है। प्राप्त मध्यमानों के अंतर की जांच करने पर 'टी' का परिकलित मान 0.03 प्राप्त हुआ है। स्वतंत्र अंश 198 का सारणी मान, सार्थकता 0.05 के स्तर पर 1.97 है जबकि प्राप्त 'टी' का मान 0.03 है अतः स्पष्ट है कि 'टी' का मान सारणी के मान से अपेक्षाकृत कम है जिससे यह ज्ञात होता है कि अशासकीय माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल में सार्थक अंतर नहीं है।

इस प्रकार दोनों समूहों की तुलना करने के पश्चात निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना सत्य है एवं स्वीकृत होती है।

अध्ययन के निष्कर्ष :

1. परिणामों द्वारा यह ज्ञात है कि अध्ययन कौशल में माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के मध्य में अंतर नहीं पाया गया है। इसका अर्थ यह है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं का अध्ययन कौशल तुलनात्मक रूप से समान है।

2. परिणामों द्वारा यह ज्ञात है कि अध्ययन कौशल में शासकीय माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के मध्य में अंतर नहीं पाया गया है। इसका अर्थ यह है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं की अध्ययन कौशल तुलनात्मक रूप से समान है।

3. परिणामों द्वारा यह ज्ञात है कि में अशासकीय माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन कौशल मध्य में अंतर नहीं पाया गया है। इसका अर्थ यह है कि माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं की अध्ययन कौशल तुलनात्मक रूप से समान नहीं है।

— डॉ. संगीता तिवारी

Assistant Professor (I.E.S. University, Bhopal)
Mob. 75091 44255

संदर्भ:-

गोहन, आइसेल एंड एट. आल (2009) मेटाकॉग्निशन स्टडी हैबिट एंड एटीट्यूड्स। डिजिटेशन अबस्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, 76 (1) 19-29.

शर्मा, आर.ए. (2006), शिक्षा अनुसंधान, मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।

Goel, & Goel, S.L. (2005) Human value and education. Deep and Deep publication.

Mukhopadhyay, M. (2016) Quality management in higher education- SAGE publication india.

Bremes, Rod. The manual Agued to the ultimate study method Amazon digital services.

<http://www-censusindia-gov-in/>

<http://www-education-nic-in/naptol-asp>

<http://www-ni-vikaspedia-in/education/teacherscomner/teachingandlearning>

महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज एवं डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर के कार्य में समरसता

— प्रा. कृष्णा नाथा गायकवाड

भूमिका :

आधुनिक काल की शुरुवात भारत में 1857 से मानी जाती है। इसी समय भारत पर अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज ने देश को गुलाम बना के अपनी मन मानी शुरु की थी। इसका विरोध 1857 में रानी लक्ष्मीबाई (झांसी की रानी), तात्या टोपे और नानासाहेब पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेडा था किन्तु इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत और इन तीनों की हार हुई थी। लेकिन पूरे भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता की शुरुवात इसी समय से मानी जाती है। आधुनिककाल में समाज में परिवर्तन करने के लिए कई कार्य किए। जिसमें राजा राममोहन राय, महात्मा जोतिबा फुले, शाहू महाराज, लोकमान्य टिलक, महात्मा गांधी, डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर, गोपाल गणेश आगरकर, न्या. रानडे, पंडित नेहरु आदि लोगों ने समाज को नयी दिशा देने का कार्य किया और समाज में धर्मनिरपेक्षता लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

महात्मा ज्योतिबा फुले

महात्मा जोतिबा फुले भारतीय सामाजिक क्रांति के महान समाज सुधारक हैं। ज्योतिबा का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे (महाराष्ट्र) में एक दलित माली जाती में हुआ। ज्योतिबा का बचपन से ही दीन-दलितों के प्रति करुणा थी। ज्योतिबा ने अपने पिता के साथ घर कामों में हाथ बटाते हुए कई पुस्तकों का अध्ययन किया। स्कूल में जाने के बाद उन्होंने 'थॉमस पेन' की किताब 'दी एज ऑफ रीजन' यह किताब पढ़ी उसके बाद दूसरी किताब 'राइट्स ऑफ मेन' इन दो किताबों का इनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। बचपन में अपने मित्र के साथ वह शादी में गये, वहाँ पर उन्हें नीच जाति का कहकर अपमानित किया गया। जिसका उन पर काफी प्रभाव पडा और बड़े होने पर उन्होंने इन सभी

रुद्धियों का प्रतिकार करना शुरु किया। ज्योतिबा ने जान लिया था कि रुद्धि और परंपरा ने ब्राह्मणवाद से मनुष्य – मनुष्य के बीच में जाति की दूरी निर्माण की है। इसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। "उन्होंने 1848 में दलितों के लिए पुणे में पहला स्कूल खोला। यह भारत देश के तीन हजार सालों के इतिहास में ऐसा पहला स्कूल था जो दलितों के लिए था। इस स्कूल के लिए उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। समाज के लोगों ने उन्हें समाज से निकाला और पिताजी ने घर से निकाल दिया। पिता ने कहा या तो स्कूल बंद करों या घर छोड़ो! और ज्योतिबा ने स्कूल ना बंद करते हुए अपने पिता का घर छोड़ दिया।"¹ और सभी परिस्थितियों का उन्होंने विरोध किया और समाज कार्य में अपने आप को लगा दिया। लड़कियों के लिए 1851 में तीन स्कूल की शुरुवात की। सन् 1855 में उन्होंने पुणे में प्रथम रात्री प्रौढशाला और 1852 में मराठी पुस्तकों का संग्रहालय शुरु किया।

"ज्योतिबा ने भारत में पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला था। जिसका उन्हें बहुत तिरस्कार मिला। उस स्कूल में शिक्षा देनेवाला कोई शिक्षक तैयार नहीं था। तब उन्होंने खुद की बीवी को पढवाकर शिक्षा देना शुरु किया और सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका बन गई। लोगों ने सावित्री पर हमला किया किसी ने पत्थर फेंके तो किसी ने कीचड़ या गोबर फेक कर मारा। इसका कोई असर उन पर नहीं पड़ा था।"² ज्योतिबा ने पिता की मृत्यु के बाद 1868 खुद के घर का पानी का नल सबके लिए खुला किया।

महात्मा फुले एक समता मूलक और न्याय पर आधारित समाज कार्य करते थे। इसलिए उन्होंने अपने रचनाओं में 'गुलामगिरी', 'किसान कोडा' इन किताबों में कृषि मंजुर के लिए कई काम किये। गरीब शोषित के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में 1873 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की। ऐसे महान व्यक्तित्ववाले ज्योतिबा ने समाज के लिए, धर्म बांधवों के लिए कई कार्य किये।

इसलिए लोगों ने उन्हें 'महात्मा' पदवी बहाल की। जो आने वाले कई सालों में लोगों के दिल में बसे रहेंगे। और उनके 'धर्म निरपेक्ष' नीति का सम्मान करेंगे।

छत्रपति शाहू महाराज :-

छत्रपति शाहू का जन्म 26 जून 1874 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ। शाहू कोल्हापुर संस्थान के संस्थानिक थे। उन्हें राजसत्ता विरासत में मिली थी। कोल्हापुर संस्थान के वह चौथे दत्तक पुत्र थे। 1884 को शाहू को दत्तक लिया गया था। बचपन से ही शाहू को दीन-दयालों के प्रति करुणा थी। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने अपनी कोल्हापुर संस्थान में प्रारंभिक शिक्षा को सभी जाति-धर्मों के लिए शुरुआत की। नारी शिक्षा को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। नारी शिक्षा आवश्यक है इसलिए उन्होंने ऐसा फर्मान निकाला की नारी शिक्षा समाज परिवर्तन होने के लिए उन्होंने नारी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। "अछूत भाव को नष्ट करने के लिए सन् 1919 में सवर्ण और अछूतों के लिए जो अलग-अलग स्कूल होती थी उसे बंद किया। जाति प्रथा को बंद करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में आंतरजातिय विवाह को मान्यता देनेवाला कायदा बनाया। 1917 में उन्होंने पूर्ण विवाह कायदा करके विधवा विवाह को कायदे से मान्यता प्राप्त करके दी। बहुजन समाज को राजनीति प्रक्रिया में समाविष्ट करने हेतु 1916 में 'निपानी' गाव में 'डेक्कन रयत असोसिएशन' नाम की संस्था शुरु की। शाहू ने गरीबों के लिए 'छत्रपति शाहू ब्लिमिंग अँड वीव्हिल मिल, शाहूपुरी व्यापार पेठ, किसानों की सहकारी संस्था, किंग एडवर्ड अग्रि कल्चरल इन्स्टिट्यूट' का निर्माण किया।³

इसके साथ-साथ शाहू महाराज ने सभी धर्मों के लिए अपने द्वार हमेशा खुले रखे। ऐसे महान व्यक्ति शाहू को सही मायने में धर्मनिरपेक्ष राजा कहा जा सकता है। उन्होंने कभी अपनी संस्था में जाति, धर्म की निंदा नहीं की। ऐसे महान व्यक्ति की गाथा हमेशा याद रहेगी,

उनकी धर्मनिरपेक्षता सदियों तक याद रहेगी । शाहू महाराज को पता था कि, मागासवर्ग के लोगों को प्रगतिपथ पर लाना है तो उनके लिए आरक्षित जगाओं की तरतुद होनी चाहिए यह विचार था । 6 जुलाई 1902 में उन्होंने कोल्हापुर संस्थान में मागासवर्गीय जातियों के लिए 50 आरक्षण होगा ऐसा घोषित किया । उसकी जल्द-ही जल्द कृति हो इसलिए उन्होंने अधिकारी वर्ग से रिपोर्ट मंगवाई । इसी धारणा पर सवर्ण वर्ग ने शाहू के इस फैसले पर विरोध जताया । फिर भी वह कभी नहीं डगमगाये । इसके साथ-साथ जाति प्रथा के शिकार सभी लोगों को उन्होंने सही रास्ता दिखाया । जिन्हें चोरियाँ करनी पडती थी उन लोगों को नौकरी दी और दलित वर्ग पर अन्याय कम हुआ । ऐसे महान लोकनायक को आज भी लोग 'रयत का राजा' नाम से जानते हैं । एक जनकल्याणकारी धर्मनिरपेक्ष राजा शाहू अपने कृतित्व के बलबुते समाज का नायक बना ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर :-

डॉ. आंबेडकर मानव जीवन में धर्म और मानवता या नैतिकता के महत्व को स्वीकार करते थे । उनका मत था कि "धर्म और नैतिकता का बंधन समाज को एकता सूत्र में बांध सकता है । डॉ. आंबेडकर धर्म के महत्व के प्रति सचेतन होते हुए धर्म के नाम पर प्रचलित अन्याय भेदभाव और पाखंडों के समर्थक नहीं थे । उनका दृढ़ मत था कि धर्म को विवेक और विज्ञान से सम्मत होना चाहिए ।⁴ डॉ. आंबेडकर के अनुसार धार्मिक विश्वास और मूल्य सामाजिक दृष्टि से वही माने जाते हैं जो समाज उपयोगी है । जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्शों के अनुरूप हो !

डॉ. बाबासाहेब धर्म और परंपरा में विश्वास नहीं करते थे और किसी धर्म की अवहेलना भी नहीं करते थे । और वे किसी भी धर्म को राज धर्म बनाए जाने अथवा उसको राज्य का संरक्षण प्रदान करने के पक्ष में

नहीं थे । वे राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के समर्थक थे । उनका मत था कि "राज्य के समस्त नागरिकों को धर्म तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए तथा नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिये ।⁵

डॉ. आंबेडकर राज्य से धार्मिक विषयों में निष्पक्ष एवं तटस्थ बने रहते हुए सभी धर्मों को विधि का समान संरक्षण प्रदान करने की अपेक्षा करते थे । उनका मत था कि राज्य को समाज सुधार, शालीनता व सार्वजनिक व्यवस्था के हित में धार्मिक विषयों का विनियमन करने की शक्ति होनी चाहिये किन्तु उसे सामान्यतः व्यक्तियों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

डॉ. आंबेडकर के समग्र जीवन का अध्ययन करके यही निष्कर्ष सामने आता है कि, "उन्होंने धर्म संकल्पना को नकारते हुए, मानवता को माना है । मनुष्य को समाज का केंद्र बिंदु मानकर वह धर्म संस्कृति को नकारते हैं । उनका मत था कि "राज्य को समाज सुधार, शालीनता व सार्वजनिक जातिय व्यवस्था के हित में धार्मिक विषयों का विनियमन करने की शक्ति होनी चाहिये, किन्तु उसे सामान्यतः व्यक्तियों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"⁶ वे कहते हैं कि हमें धर्मनिरपेक्षता की आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रसारित करने का प्रयास करना चाहिये । धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो व्यक्ति एवं समूह को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है । उनका कहना है कि, "व्यक्ति को किसी धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है । उनका कहना है कि, "व्यक्ति को किसी विशेष धर्म का अनुयायी न मानकर एक नागरिक के रूप में स्वीकार करता है, संवैधानिक रूप से किसी विशेष धर्म से सम्बन्धित नहीं होता और न यह किसी धर्म को प्रोत्साहित करता है और नहीं उसमें हस्तक्षेप करता है ।⁷

डॉ. आंबेडकर ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएँ

इस प्रकार बताई है —

— किसी भी धर्म विशेष को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता ।

— राज्य किसी भी धर्म विशेष को सुविधाएँ और संरक्षण प्रदान नहीं करता ।

— राज्य किसी भी धर्म के प्रति विद्वेषात्मक रुख नहीं अपनाता ।

— सभी व्यक्तियों के समान धार्मिक कलाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

— संसद को धर्म सम्बन्धी कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है, न ही उसे यह अधिकार है कि किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य नहीं करे ।

— राजकीय तथा राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में किसी धर्म को विशेष का प्रचार—प्रसार नहीं किया जायेगा ।

याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने विचारों में धर्मनिरपेक्षता को बहुत महत्व दिया है। धर्मनिरपेक्षता का सही मायने में आंबेडकर ने अवलंब किया और उन्हें पता था कि देश में समानता लाने के लिए धर्मनिरपेक्ष समाज एवं न्याय का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

हिन्दी विभागाध्यक्ष

श्रीमती जी.जी. खडसे महाविद्यालय,

मुक्ताईनगर, जलगांव (महाराष्ट्र) 425306

मो. 9822576062

संदर्भ:—

1. भारतीय समाज सुधारक — महात्मा फुले
2. भारतीय समाज क्रांतिचे जनक महात्मा ज्योतिबा फुले प्रा. ना. ग. पवार अवनाश वारोडकर पृष्ठ क्र. 39
3. भारतीय राजनीतिक विचारक—विश्वकोश—शाहु की धर्मनिरपेक्षता एम. कुमार, दीप्ति शर्मा पृष्ठ क्र. 122
4. भारतीय राजनीतिक विचारक — विश्वकोश — अंबेडकर की धर्मनिरपेक्षता — एम. कुमार, दीप्ति शर्मा पृष्ठ क्र. 132
5. वही, पृष्ठ क्र. 133
6. वही, पृष्ठ क्र. 133
7. वही, पृष्ठ क्र. 133

बदलती शिक्षा नीतियां : भारतीय शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

— राकेश

— डॉ. सतीश खासा

— मिस सुजाता

1. सार — शिक्षा सदैव समाज को आर्थिक और सामाजिक प्रगति की ओर ले जाती है। अलग-अलग देश अपनी परंपरा और संस्कृति पर विचार करके विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को अपनाते हैं। शिक्षा स्तर को प्रभावी बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज विभिन्न चरणों में इसे अपनाते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, जो कि डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह पेपर शिक्षा प्रणाली में घोषित नीतियों और वर्तमान में अपनायी शिक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु प्रस्तुति है। एन.ई.पी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में इसका प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंत में, कुछ सुझाव भी प्रस्तावित हैं।

की वर्ड : उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी-2020, अवलोकन और विश्लेषण, कार्यान्वयन रणनीतियां, अनुमानित बाधाएं और गुण परिचय।

2. परिचय — शिक्षा को न केवल राष्ट्रीय विकास के अग्रदूत के रूप में परिकल्पित किया गया है, बल्कि बेहतर जीवन स्तर के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। किंतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है, शिक्षा नीति ही वह माध्यम है इसके द्वारा कोई भी राष्ट्र बड़े से बड़े परिवर्तनों को लागू करवा सकता है, परिवर्तन न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि मानव के संपूर्ण विकास के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा जगत में नई क्रांति लाने हेतु, 34 साल बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आजादी के सात दशक से अधिक समय के बाद, भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा तक समान पहुंच का आनंद लेने में सक्षम

नहीं है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा ग्रहण करने में। समावेशी शिक्षा प्रणाली, समावेशी विकास की एक प्रक्रिया है। सिस्टम में बेहतर इनपुट सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने समय-समय पर आयोगों और समितियों के गठन की पहल की है, समय-समय पर नई शिक्षा नीतियों की संरचना की है। उच्च शिक्षण संस्थानों की बढ़ती संख्या के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (2019) ने भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 150 में भी नहीं रखा है। 2020 में अपनाई गई तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नव परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शिक्षा नीतियों का पुनर्निर्माण इत्यादि, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, वैज्ञानिक सोच का समावेश और नैतिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। शिक्षा की आधारभूत राष्ट्रीय नीति वर्ष 1986 में तैयार की गई थी, फिर 1992 में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए थे। इसी श्रृंखला में, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने विभिन्न विकासात्मक पहलुओं के साथ तालमेल रखने के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019' में ड्राफ्ट तैयार किया और जुलाई, 2020 में एन.ई.पी प्रस्तुत की गई।

3. अनुसंधान पद्धति— यह अध्ययन मुख्य रूप से वर्णनात्मक है। इसका विश्लेषण मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साहित्य से लिए गये स्रोतों पर आधारित है। यह द्वितीयक डेटा विभिन्न वेबसाइटों, सर्वेक्षणों, शोध पत्रों, लेखों, पत्रिकाओं और सरकार से एकत्र रिपोर्टों से लिया गया है।

4. अनुसंधान सीमा : अतः मेरे द्वारा किए गए अध्ययन के विश्लेषण की सटीकता द्वितीयक डेटा पर निर्भर करती है।

5. अध्ययन के उद्देश्य :

एन.ई.पी 2020 की नीतियों पर प्रकाश डालने और उनका अवलोकन करने के लिए।

नई राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 में नवाचारों की पहचान करना।

6. एन. ई. पी.—2020 की मुख्य हाइलाइट्स—

— नई शिक्षा नीति के चरणों को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति के 10+2 के फार्मूले को समाप्त करने के बाद सरकार नई शिक्षा नीति को 5+3+3+4 के फार्मूले में लागू करने जा रही है।

— नई शिक्षा नीति के भीतर माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास विदेशी भाषा के कई विकल्पों को रखा जाएगा। जिसमें बच्चे माध्यमिक स्तर से ही फ्रेंच, चाइनीस, जापानीज, स्पेनिश और जर्मन आदि तमाम प्रकार की विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

— पाठ्यक्रम में मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया जाएगा, यदि पाठ्य पुस्तकों की शैक्षिक भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरित किया जाता है तो छात्र उसे आसानी से समझ सकते हैं।

— **वोकेशनल पढ़ाई पर मुख्य जोर :** नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत वोकेशनल पढ़ाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि हमारे देश में वोकेशनल पढ़ाई करने वाले छात्रों का प्रतिशत 5 प्रतिशत से भी कम है। नई शिक्षा नीति के भीतर 2025 के अंत तक इस प्रतिशत को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी छात्रों को वोकेशनल पढ़ाई कराई जाएगी। बच्चों को योग, संगीत, नृत्य, खेल और मूर्तिकला आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि छात्र पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रकार के कौशलों में भी निपुण हो पाए।

7. एन. ई. पी 2020 में नवाचार :

— नई शिक्षा नीति के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल अकैडमी क्रेडिट बनाया जाएगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इन क्रेडिट को संग्रहित कर छात्र के अंतिम वर्ष की डिग्री में स्थानांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा।

— नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव

कोशिश की जा रही है। यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रुझान ना रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स पढ़ना चाहता है तो वह अपने पहले कोर्स से निश्चित समय अवधि तक रुक कर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।

— नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना नई शिक्षा नीति के भीतर सम्मिलित है।

— नई शिक्षा नीति के भीतर 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहू विषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है तो उसे केवल एक साल की पढ़ाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल बाद उचित प्रमाणों के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ-साथ रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी।

— राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी जिससे शिक्षा का स्तर बनाया जा सके।

8 . एन. ई. पी –2020 में सुधार के लिए सुझाव :

— पी-एच.डी. शिक्षण शोध, कॉलेज और विश्व विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अनिवार्य डिग्री होनी चाहिए। इसी कारण से अनुसंधान स्नातक और परास्नातक का एक अभिन्न अंग बनने जा रहा है।

— उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु गठित समितियों के प्रमुख सदस्यों को पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके सक्रिय अनुसंधान योगदान के आधार पर चुना जाना चाहिए। अप्रचलित राजनेताओं और नौकरशाहों को निर्णय लेने की स्थिति से सख्ती से बाहर रखा जाना चाहिए।

— टेक-जेनरेशन को ऑनलाइन शिक्षा का

एक्सपोजर देना।

— छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए जिसमें निम्न को शामिल करना चाहिए : (ए) साप्ताहिक तीन दिन कक्षा-आधारित कक्षाएं, (बी) साप्ताहिक 2 दिन ऑनलाइन कक्षाएं, और (सी) साप्ताहिक एक दिन उद्योग/व्यावसायिक/कौशल आधारित ऑनलाइन कक्षा।

— सभी विश्वविद्यालयों को उच्च स्तर पर प्रकाशित करने के लिए व्यवस्थित तरीके से अपनी डिजिटल प्रकाशन इकाइयां शुरू करनी चाहिए, जो कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान प्रकाशित करने में सक्षम हो।

9. निष्कर्ष :

अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, प्रौद्योगिकी के मानक तय करने में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर देश में मानव व्यवहार, शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रत्येक नागरिक को शामिल करने के लिए जी.ई.आर. में सुधार देश के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, योग्यता आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित करना एक सराहनीय कदम होगा। एक अनुशासन के अंतर्गत सभी विषयों में मूल और संबद्ध विषयों को चुनने की स्वतंत्रता होगी। विश्वविद्यालय के विभाग के सदस्य के सानिध्य में पाठ्यक्रम, कार्यप्रणाली, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन मॉडल चुनने की स्वायत्तता भी प्राप्त होगी। इसलिए भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित, सूचना केंद्रित की ओर बढ़ रही है। ज्ञान केंद्रित करने के लिए, कौशल केंद्रित करने के लिए केंद्रित अंक, प्रयोगात्मक केंद्रित करने के लिए परीक्षा केंद्रित, अनुसंधान केंद्रित करने के लिए सीखने केंद्रित, और योग्यता केंद्रित करने के लिए विकल्प केंद्रित व्यवस्था को प्रोत्साहित करना होगा। इसके अलावा कौशल

विकास एवं 5 कक्षा तक स्थानीय भाषाओं में पढ़ने की अनुमति प्रकटित ज्ञान अर्जित में सहायक व तीव्र गति से सीखने में तमाम प्रकार की नीतियों को ढांचागत रूप दे दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण एन.ई.पी 2020 , लागू करने में विलंब अवश्य हुआ है ,किंतु उम्मीद है, ये परिवर्तन शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के अंत व 2022–2023 से

- Rakesh

(असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय-124001) मोबाइल 9813091403,

- Dr satish khasa

- Ms - Sujata Advent Academy, Ghaziabad, India

संदर्भ :

- [1] Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. *Indian Educational Review*, 40(1), 3-28.
- [2] Draft National Education Policy 2019, <https://innovate.mygov.in/wp-content/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf>
- [3] Aithal, P. S. & Aithal, Shubhrajyotsna (2019). Analysis of Higher Education in Indian National Education Policy Proposal 2019 and its Implementation Challenges. *International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML)*, 3(2), 1-35. DOI: <http://doi.org/10.5281/Zenodo.3271330.17>
- [4] National Education Policy 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020.
- [5] Onwuegbuzie, A. J., Dickinson, W. B., Leech, N. L., & Zoran, A. G. (2009). A qualitative framework for collecting and analyzing data in focus group research. *International journal of qualitative methods*, 8(3), 1-21.
- [6] Aithal, P. S., (2016). Study on ABCD Analysis Technique for Business Models, business strategies, Operating Concepts & Business Systems, *International Journal in Management and Social Science*, 4(1), 98-115. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.161137>.
- [7] Shubhrajyotsna Aithal & Aithal, P. S. (2018). The Realization Opportunity of Ideal Energy System using Nanotechnology Based Research and Innovations. *International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology*, 3(2), 1-15. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2531876>.
- [8] Aithal, P. S. & Shubhrajyotsna Aithal (2019). Building World-Class Universities: Some Insights & Predictions. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 4(2), 13-35. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3377097>.
- [9] Aithal, P. S. (2016). Student Centric Curriculum Design and Implementation - Challenges & Opportunities in Business Management & IT Education. *IRA International Journal of Education and Multidisciplinary Studies*, 4(3), 423-437. DOI: <http://dx.doi.org/10.21013/jems.v4.n3.p9>.
- [10] Simão, A. M. V., & Flores, M. A. (2010). Student-centred

- methods in higher education: Implications for student learning and professional development. The International Journal of Learning, 17(2), 207-218.
- [11] Shubrajyotsna Aithal & Aithal, P. S., (2016). Student Centric Learning Through Planned Hardwork-An Innovative Model. International Journal of Scientific Research and Modern Education (IJSRME), 1(1), 886-898. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.61830>.
- [12] Aithal P. S. & Aithal Shubrajyotsna (2020). Promoting Faculty and Student-Centered Research and Innovation based Excellence Model to Reimage Universities. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), 5(1), 24-41. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3702399>.
- [13] Aithal, P. S. (2016). Innovations in Student Centric Learning - A Study of Top Business Schools in India. International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME), 1(1), 298-306. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.161045>.
- [14] Aithal P. S., & Suresh Kumar P. M. (2018). Approaches to Confidence Building as a Primary Objective in Postgraduate Degree Programmes. International Journal of Applied Engineering and Management Letters (IJAEML), 2(1), 64-71. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1205185>.
- [15] Aithal, P. S. (2016). Creating Innovators through setting up organizational Vision, Mission and Core Values: a Strategic Model in Higher Education. International Journal of Management, IT and Engineering (IJMIE), 6(1), 310-324. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.161147>.
- [16] Pradeep M.D, and Aithal, P. S., (2015). Learning through Team Centric Exercise & Key Point Pedagogy - An effective Learning Model for Slow Learners in Higher Education Training, International Journal of Multidisciplinary Research & Development, 2(9), 265-270. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.267765>.

सिकन्दर तहसील (बलिया जनपद) में जनसंख्या घनत्व एवं उसका सामाजिक, आर्थिक प्रभाव

– रामजी राय (शोध छात्र)

सारांश—

किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं समाज के विकास में उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः भूगोल विषय में इसका अध्ययन अति आवश्यक होता है। क्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या घनत्व में पायी जाने वाली विभिन्नता सामाजिक व आर्थिक प्रगति में असंगठन का एक प्रमुख कारण बनती है, फलतः यह एक सूचक भी होती है। इसी प्रकार प्रादेशिक अध्ययन और

नियोजनगत विश्लेषण में यह घनत्व में सहायक सिद्ध हो सकता है। जन घनत्व में क्षेत्र एवं कालगत विभिन्नता मानव जीवन के विभिन्न आयु वर्गों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य पर भी निर्भर करता है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथ्यों को प्रभावित करने वाले बहुत से जनांकिकीय तथ्य जन घनत्व द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण एवं विकास के लिए जनसंख्या

घनत्व एक आवश्यक तथ्य है। अतः शोधार्थी ने क्षेत्रीय विकास के इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध पत्र में सिकन्दरपुर तहसील में जनसंख्या घनत्व एवं उसके सामाजिक, आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया है जिसके आधार पर अध्ययन क्षेत्र के विकास हेतु एक निर्धारित रूप रेखा प्रस्तुत की जा सके एवं उसको आधार बनाकर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जा सके।

शब्द संक्षेप— जनसंख्या घनत्व, सामाजिक व आर्थिक, प्रादेशिक, सामाजिक चेतना, जनसंख्या आयु वर्ग, जनांकिकीय, स्थानिक एवं कालिक सामाजिक—आर्थिक विकास।

प्रस्तावना— किसी क्षेत्र में प्रतिवर्ग किमी में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं समाज के विकास में जनसंख्या घनत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक एवं इसके अध्ययन से किसी क्षेत्र में संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव का बोध होता है। अर्थात् जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ग किमी. में निवास करने वाली जनसंख्या अधिक होगी वहाँ के संसाधनों पर दबाव भी अधिक होता है। क्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या घनत्व में पायी जाने वाली विभिन्नता सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

उल्लेखनीय है कि जनसंख्या घनत्व के चार प्रकार होते हैं जो इस प्रकार हैं—

1. अंकगणितीय घनत्व
2. कायिक घनत्व
3. कृषि घनत्व
4. आर्थिक घनत्व

अंकगणितीय घनत्व— अंक गणितीय जनसंख्या में प्रतिकिलोमीटर कुल जनसंख्या का अध्ययन करते हैं इस घनत्व में मुख्य कमी यह है कि

इसके अन्तर्गत आवासीय, परिवहन, औद्योगिक आदि क्षेत्रफल को भी शामिल कर लेते हैं। परन्तु आँकड़ों की उपलब्धता के कारण सामान्यतः जनसंख्या घनत्व का यही प्रकार अधिक प्रचलित है।

कायिक घनत्व—कायिक घनत्व के अन्तर्गत हम प्रतिवर्ग किलोमीटर कृषि योग्य क्षेत्रफल पर कुल जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन करते हैं। इससे अंक गणितीय घनत्व से अपेक्षाकृत अधिक तस्वीर स्पष्ट होती है।

कृषि घनत्व— कृषि घनत्व के अन्तर्गत कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल पर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन करते हैं। यह संसाधनों पर दबाव की स्पष्ट तस्वीर प्रकट करती है।

आर्थिक घनत्व— इसके अन्तर्गत कुल संसाधन पर कुल जनसंख्या के अनुपात का अध्ययन करते हैं।

सामान्यतः हम जनसंख्या घनत्व के आँकड़ों की उपलब्धता के कारण अंक गणितीय घनत्व का प्रयोग करते हैं।

जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने की एक विधि है। इसके अन्तर्गत भूमि एवं उस पर निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात ज्ञात किया जाता है। इस अनुपात को छाया विधि द्वारा मान चित्रित करके जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य सामान्य जनसंख्या में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं।

सामान्य अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व
= $\frac{\text{कुल जनसंख्या}}{\text{कुल क्षेत्रफल}}$

उपरोक्त सूत्र की सहायता से किसी क्षेत्र के

जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य— 1. सिकन्दरपुर तहसील के जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करना।

2. अध्ययन क्षेत्र पर पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना।

3. अधिक जनसंख्या के कारण आने वाली समस्याओं को प्रकाश में लाना।

4. जनसंख्या घनत्व का स्थानिक कालिक विश्लेषण करना।

5. जनसंख्या घनत्व की प्रवृत्ति की व्याख्या करना।

6. अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व से उत्पन्न विषमता से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं का पता लगाना एवं उसके निदान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

विधि तन्त्र— प्रस्तुत अध्ययन में विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक विधि तन्त्रों का प्रयोग करते हुए अध्ययन को पूर्णता प्रदान की गई है। अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण जनपद सांख्यिकी पत्रिका एवं सेन्सस आफ इण्डिया से लिया गया है तथा शोध पत्र हेतु प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं, शोध निबन्धों का अध्ययन किया गया है तथा जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने हेतु जनसंख्या घनत्व के सूत्र का प्रयोग किया गया है जो इस प्रकार है—

$$\text{जनसंख्या घनत्व} = \frac{\text{क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या}}{\text{क्षेत्र विशेष का कुल क्षेत्रफल}}$$

अध्ययन क्षेत्र— सिकन्दरपुर तहसील उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मण्डल के बलिया जनपद में घाघरा नदी की तटवर्ती तहसील है। अध्ययन क्षेत्र का अक्षांशीय एवं देशांतरिय विस्तार क्रमशः 25° 55'' उत्तरी अक्षांश से 26° 8' उत्तरी अक्षांश एवं 83° 55' पूर्वी देशान्तर से


84° 7' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। तहसील की उत्तरी सीमा का निर्धारण घाघरा नदी द्वारा होता है। यह नदी सिकन्दरपुर तहसील को बिहार राज्य से अलग करती है। इसके पूरब में बॉसडीह तहसील, पश्चिम में बेलथरा रोड़ तहसील व दक्षिण में रसड़ व बलिया तहसील स्थित है। सिकन्दरपुर तहसील का कुल क्षेत्रफल 42634 हे. (426.34 वर्ग किलोमीटर) तथा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 377297 है। इसके अन्तर्गत तीन विकासखण्ड नवानगर, पन्दह एवं मनियर (आंशिक) की 24 न्याय पंचायतें आती हैं।

सारणी सं० 1.1

तहसील सिकन्दरपुर : न्यायपंचायतवार जनसंख्या घनत्व

क्रमसं०	न्यायपंचायत	जनसंख्या घनत्व	क्रमसं०	न्यायपंचायत	जनसंख्या घनत्व
1.	ईसारपीथापट्टी	960	13.	खेजुरी	780
2.	बघुड़ी	880	14.	पकड़ी	810
3.	कठोड़ा	870	15.	बाघापार	792
4.	सिवानकला	980	16.	पन्दह	1062
5.	हुसेनपुर	910	17.	चड़वा-वरवा	768
6.	भौंटी	942	18.	पूर	810
7.	सीसोतार	925	19.	मिथौली	882
8.	झाबिहरा	882	20.	हथौज	962
9.	देवकली	912	21.	बालूपुर	1090
10.	नवानगर	1092	22.	बड़गाँव	1082
11.	एकड़ल	782	23.	काजीपुर	913
12.	खड़सरा	760	24.	असना	1242
			योग तहसील		988

स्रोत—जनगणना हस्तपुस्तिका—2011



सारिणी सं. 1.1 में तहसील सिकन्दरपुर में न्याय पंचायतवार जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण किया गया है। आँकड़ों से स्पष्ट है कि न्याय पंचायत नवानगर (1092), बालूपुर (1090) एवं बड़ागाँव (1082) में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्ययन क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) एवं उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व (828 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर) से अधिक है जो संसाधनों पर बढ़ते दबाव का द्योतक है।

उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ प्रमुख समस्याये निम्नवत है—

1. संसाधनों पर बढ़ता दबाव— जनघनत्व अधिक होने के कारण भूमि सड़क, परिवहन, कृषि आदि संसाधनों पर दबाव तीव्रतम होता जा रहा है जिससे अध्ययन क्षेत्र में विविध समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

2. छोटा जोताकार— जनघनत्व अधिक होने के कारण जोतो का आकार क्रमशः छोटा होता जा रहा है जिससे उत्पादकता प्रभावित हो रही है।

3. निम्न जीवन स्तर— अत्यधिक जनदबाव के कारण लोगों का जीवन स्तर क्रमशः गिरता चला जा रहा है। कृषि यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय है जिस पर जनभार अधिक बढ़ता जा रहा है।

4. यातायात संचार एवं अन्य अवस्थापनात्मक (बुनियादी) सुविधाओं में कमी— अत्यधिक जनघनत्व के कारण यातायात, संचार एवं अवस्थापनात्मक सुविधाओं में कमी हो रही है जिससे आम जनमानस को विविध समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि अवस्थापनात्मक तत्व का सामान्य अर्थ किसी क्षेत्र विशेष के विकास हेतु मुख्य ढाँचे के उपर अन्य छोटे-छोटे ढाँचागत अवयवों को इंगित करना है, जिसका विकास करके किसी क्षेत्र विशेष का विकास किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन छोटे-छोटे तत्वों से किसी क्षेत्र विशेष का विकास होता है उसे अवस्थापनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे—कल—कारखाने, तकनीकी शिक्षण संस्थान इत्यादि।

उपसंहार— आवश्यकता इस बात की है कि अध्ययन क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाया जाय जिससे कि जनघनत्व को कम किया जा सके। जनघनत्व के कम होने के उपरान्त ही संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा एवं अध्ययन क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। क्योंकि जितने भी विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उनका लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के साथ-साथ रोजगार के संसाधनों को भी बढ़ाना होगा जिससे कि लोगों का जीवन स्तर ऊँचा हो सके। तथा उनकी आय भी बढ़ सके। बिना आय के बढ़े जीवन स्तर ऊँचा होने की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः क्षेत्र के विकास हेतु जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है जिससे कि संसाधनों पर बढ़ते जनदबाव को कम किया जा सके।

— राम जी राय

शोध छात्र, भूगोल
बयालसी पी.जी. कालेज,
जलालपुर, जौनपुर, (उ. प्र.)

MOB. NO: 8299633125

संदर्भ:—

1. चान्दना, आर. सी. (2011) : जनसंख्या भूगोल (पुनःमुद्रित), पेज 40–83, 251।
2. आर. सी. तिवारी (2017) : जनसंख्या भूगोल (पुनःमुद्रित), प्रवालिका पब्लिकेशन इलाहाबाद पेज 52–54, 278।
3. तिवारी आर० सी० (2011) : भारत का भूगोल (संशोधित संस्करण) प्रयाग पुस्तक भवन।
4. अपराजिता (2013) : धर्मापुर विकासखण्ड (जौनपुर जनपद) में जनसंख्या गत्यात्मकता का एक भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, वी.ब.सि. पूर्वांचल वि. वि. जौनपुर (उ.प्र.) पृ. 5, 43

The Women's Position in Vedic Literature : A Holistic Approach

- Dr. Paromita Roy

Abstract:

The status of women in ancient India was very high. Many women like Gargi, Maitreyi, Lilabati enlightened the society by their knowledge, intellect and character. But in reality, was the women held high in ancient India? Or was it forcefully proved that in the Vedic Period the position of women were much respected. A brilliant sketch was drawn by the historians or thinkers to enhance the glory of ancient India.

In my paper, I have tried to understand the status of women in ancient India specially Vedic period. Thus, I have discussed some relevant points in women's history, through which the authenticity of these comments will be verified. I have also tried to understand more about the women's rights in education in ancient India was.

Keywords: Women, Education, Freedom, Society, Family, patriarchal attitude etc.

Place of Women in the Vedas :

The term 'Vedic age' denotes the time between the creation of the Rig Veda and the later Vedas. According to this calculation the Vedic age ought to have spanned about seventeenth or eighteenth centuries. The situation of women, therefore, was not static either. Vedic literature offers us glimpses of women's situation in society in various points of the age.

The Rig-Veda is the oldest work of Vedic literature. We notice some layers in its composition. Women are much more free in the oldest layers. There, society expresses its

outlook on women through a number of images. In some verses, *Usha* or Dawn is the wife of the god of son, Surya. In some others she is his mother, and in still others his daughter.

The Rig-Veda also mentions kidnapping of women with or against their will. Dowry is also recognized. The custom of a man keeping multiple wives is mentioned sometimes explicitly and sometimes in an offhand manner. It is said that any physical defect of the bride must be compensated with heavy dowry. Elderly virgin women were called '*Amaju*' or '*Amajura*'. These women grew old in their father's house, so they were also called '*Kulapa*', '*Vridhakumari*' and '*Jaratkumari*'. In the age of the Rig-Veda, marriage was yet to

Keywords : Women, Education, Freedom, Society, Family, patriarchal attitude etc.

Place of Women in the Vedas:

The term 'Vedic age' denotes the time between the creation of the Rig Veda and the later Vedas.

According to this calculation the Vedic age ought to have spanned about seventeenth or eighteenth centuries. The situation of women, therefore, was not static either. Vedic literature offers us glimpses of women's situation in society in various points of the age.

The Rig-Veda is the oldest work of Vedic literature. We notice some layers in its composition. Women are much more free in the oldest layers. There, society expresses its outlook on women through a number of images. In some verses, *Usha* or Dawn is the wife of the god of son, Surya. In some others she is his mother, and in still others his daughter.

The Rig-Veda also mentions kidnapping of women with or against their will. Dowry is also recognized. The custom of a man keeping multiple wives is mentioned sometimes explicitly and sometimes in an offhand manner. It is said that any physical defect of the bride must be compensated with heavy dowry. Elderly virgin women

were called '*Amaju*' or '*Amajura*'. These women grew old in their father's house, so they were also called '*Kulapa*', '*Vridhakumari*' and '*Jaratkumari*'. In the age of the Rig-Veda, marriage was yet to become compulsory for women. The text does not mention the custom of *Sahamarana*. Widows lived on.

In the *Atharvaveda*, much after the composition of the main portions of the Rig Veda, we see the first mention of the custom of *Sahamarana*, or *Sattee*. The life of a widow had no guarantee of being a happy one even if she was allowed to live. Many times we come across prayers of women wishing they would never have to face widowhood. We all know that an equivalent prayer has not been voiced anywhere in Indian literature by any man. But the *Atharva* Veda also grants women the right to have up to ten husbands in some places.

Women had no work apart from domestic chores. Sometimes a few other works are mentioned, including knitting and sewing.

Brahmacharya, or institutionalized learning, had been forbidden to women for a long, long time. Thus they had no access to education. Women's *Brahmacharya* was said to be in the act of getting a husband. Some of the women began to think that *Brahmacharya* is something similar to a ritual or a worship leading to the attainment of a good husband. But some women got a chance to educate themselves during the time of the Rig Veda. In this text we find names of a few wise women, such as *Vishwavārā*, *Ghoshā*, *Apālā* and *Godhā*. In the works of Pānini, women employed in the teaching profession are referred to as *Āchāryā* and *Upādhyāyā*. In the text of *Kāshikā bhāshya*, we see the names of *Kāshkritsnā* and *Apishlā* who were learned in grammar and logic. We also find names of *Gārgi*, *Vāk*, *Maitrayee* and *Shāshwati*. It means that some women occasionally got the chance of education. But they were exceptions. Gradually women's right to education was shrinking. Thus, it was said about educated women that they are men

in spite of being women.¹

Since the age of *Brahmanical* literature, there were very few educated women. In even later periods we see prostitutes were the only group of women having access to education. Some women could learn music, dance or painting before marriage. But other studies were forbidden to them. In the Rig Veda, the newlywed bride is blessed with the words:

'Be the empress of your in-laws.'²

When we notice the mantras for marriage, we see everywhere it is stated repeatedly that the wife should be her husband's follower in words and deeds. Moreover, the very existence of the wife's independent mind is denied. Only the beautiful wives received the love of their husbands. This shows that the possibility of any kind of attractiveness in a woman beyond physical beauty was not accepted by the scriptures.

Gradually woman was imprisoned within the inner sanctums of the house. The Rig Veda mentions warrior women such as *Mdglini*, *Vishpalā*, *Vadhrimati*, and *Shashiyasi*.

Some of these women were wounded or killed in battle, and some others won. But roles for women in open society were cancelled soon after the early days of the Rig Veda. The chief role of a wife was as the mother of children. All the religious texts say that a childless wife may be deserted after ten years of marriage.

If the father of an unmarried woman cannot marry off his daughter within the scheduled age limit, then that woman can marry of her own accord within the following three years. But marriage would give her no rights. Woman is subordinate to man in every walk of life. The *Vashishtha Dharmasutra*, *Shatapath Brāhman*, *Brihadaranyaka Upanishad* everywhere it is said that woman is not capable of freedom. But in the Rig Veda we see 'Usha the wife of the Sun goes before her husband.'³

The subordination of women was a later phenomenon, a development of the age of the *Brahminical* literatures. The *Taittiriya Brāhman* says that the wife is the manifestation of prosperity. On the other hand the *Shatapath Brāhman* says that he

alone attains prosperity whose wives are fewer in number than his pet animals. We understand keeping how many wives may be the norm in a culture which draws comparison between the number of wives and the number of pet animals.

Scriptures grant all rights to men to rule and consume women. The husband had very little responsibility to his wife. The Bodhāyan Dharmasutra says that every 'varna' or social class should protect its women before protecting its wealth, but we do not see this reflected in practice.

It is also said in scriptures that women ought to be weakened by beating them with thunder or sticks. This would ensure she has no right over her body or wealth. We see how this prescription grants men the open right to beat their wives. The scriptures deny women their financial right and take away their right over their own bodies.

Even the existence of woman's mind was not accepted anywhere. The husband is free not only to insult his wife but also to beat her. If

the husband had many wives, then no wife could say anything if he went to spend time with other wives or even if he went to a brothel. Woman had no property of her own. She had no right over the property of her husband or her father. She was completely dependent on her husband for survival.

In the age of the Rig Veda, the wife woke ahead of the husband. Society has moved a great distance away from that stance. Kartiama has mentioned women warriors in India.⁴

But within a few centuries after that they had lost their human dignity. Unmarried women are largely absent in literature. She has been kept in a dark confinement as widow. She has not been given any social responsibility. She has had only two roles designated for her: those of the wife and the mother.

- Dr. Paromita Roy

Assistant Professor,
Dept. of Philosophy
Panskura Banamali College,
East Medinipur West Bengal,
Mob- 8250506302

Refrences

1. Ghosh, Aruna. *Women in India: Problems Potentialities and Power*.(Ed.), Mitram, 37A, College Street, Kolkata 700073 (2010)
2. Bhattacharya, Sukumari. *Prabandha Samgraha* 1. Anima Biswas, Gangchil, Matir Bari, Onker Park, Ghola Bazar. Kolkata -700011 (2012)
3. Bhattacharya, Dinesh Chandra. *Vivekanander Vedanta Chinta*. Swami Suparnanada, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Goal Park. Kolkakta-700029 (1990)
4. Dutta Chandra Ramesh. *Reg-Veda Samhita*. Vol-2, Haraf Prakashan, Kolkata (1976)
- ⁴ Cf. Sukumari Bhattacharya, *Prabandha Samgraha* 1, p.925. Kankar Sinha, *Manusamhita O Nari*, Radical Impression. 43, Beniatala Lane. Kolkata - 700009 (2005)
6. Maitra, Shephali. *Naitikata O Naribad*. New Age Private Ltd, 8/1 Chintamani Das Lane, Kolkata-700009 (2003)
7. Sinha, Kankar. *Manusamhita O Nari*. Radical Impression. 43, Beniatala Lane. Kolkata -700009 (2005)
8. Bandyapadhyay, Chandra Suresh. *Manusamhita*. Ananda Publishers Pvt. Ltd, Kolkata (1999)

• सारस्वत सम्मान समारोह संपन्न •



मानव संस्कृति के निर्माण में हमारी जीजिविषा, जीवटता संवाहक रही है, समय मन्वन्तर का ही प्रतीक है युग, शताब्दी, कल्प उसका हिस्सा है, जहां गायन, वादन, नृत्य, गीत संगीत, लोक संस्कृति, संवाद है, यही यह संस्था समारोह के माध्यम से कर रही हैं, मंचासीन अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहीं, संस्था मन्वन्तर द्वारा प्रतिवर्षानुसार अभिरंग नाट्य गृह कालिदास अकादमी में श्रीमती मथुरादेवी वट स्मृति सारस्वत सम्मान

समारोह पं. श्रीधर व्यास के मुख्यातिथ्य में, डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता, संतोष सुपेकर व राधा किशन वाडिया के विशेष आतिथ्य, संस्था संरक्षक रामचरण वट प्रेमी के संयोजन यश हरिशंकर वट के संचालन में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में लघु पत्रिका मन्वन्तर का विमोचन, प्रफुल्ल हर्णे के ग्रुप स्ट्रींग म्यूजिक क्लासेस की सांगीतिक एवं नृत्यांतर कला संस्थान की शास्त्रीय, लोकनृत्य की प्रस्तुति रही।

मन्वन्तर कला कांटेस्ट की चित्रकला प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी के सहभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया।

मन्वन्तर सारस्वत सम्मान प्रतिभाशाली छात्रा कु. चार्वी आशीष मेहता, ब्रेललिपि शिक्षक ग्रेसी परमाना, मालवी लोक सांस्कृतिक कला काव्य संवर्धक श्रीमती माया मानवेन्द्र बधेका नारायणी, रचनाकार श्रीमती मीरा जैन का शाल, श्रीफल, सम्मान पत्र भेंट कर अतिथियों द्वारा अभिनन्दन किया गया।

कार्यक्रम में मदनलाल ललावत, डॉ. लक्ष्मी नारायण जाटवा, बालीनाथ सरस्वती, डॉ. हरिमोहन बरुआ, डॉ. उर्मि शर्मा, डॉ. श्रीकृष्ण जोशी, डॉ. पुष्पा चौरसिया, डॉ. तारा परमार, प्रेम कुमार मनमौजी, बृज खरे विशेष रूप से उपस्थित रहे।

— हरिशंकर वट, संपादक : मन्वन्तर



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

प्रदेशवासियों को
74^{वें}
गणतंत्र दिवस पर
हार्दिक
शुभकामनाएं

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

निरंतर विकास की ओर अग्रसर
मध्यप्रदेश का हर गाँव - हर शहर

महिलाओं को शिक्षा देकर पहुँचाया है ज्ञान ।
हर नारी को है सिखलाया करना आत्म सम्मान ॥



भारत की प्रथम महिला शिक्षिका
सावित्रीबाई फुले
को 3 जनवरी जन्म जयंती पर शत-शत नमन

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2021-2023 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में,



पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुद्रित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित ।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार